

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09012020-215241

CG-DL-E-09012020-215241

xxxGIDExxx

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड ((i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 8, 2020/पौष 18, 1941

No. 16]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 8, 2020/ PAUSHA 18, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8जनवरी, 2020

सं./ 1 2020- सीमा शुल्क (सीवीडी)

सा .नि.का.18.(अ)—जहां कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम त जिएतश्मिन पश्चा)न्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है दित या वहां से निर्यातित और भारत मेंउत्पा :में मूलत (आयातित “कान्टीन्युअस कास्ट कापर वायर रॉड्स” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है की प्रथम अनुसूची के शीर्षक (7408 के अंतर्गत आता है, के मामले में अधिसूचना संख्या 6/17/2018-डीजीएडी, दिनांक 5 नवम्बर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि –

- (i) मैसर्स एसईआई थाई इलेक्ट्रिक कंडक्टर कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड से हुए निर्यात को छोड़कर उक्त विषयगत वस्तु का विषयगत देशों से भारत को आर्थिक सहायता प्राप्त मूल्य पर निर्यात किया गया था;

- (ii) विषयगत वस्तु के आर्थिक सहायता प्राप्त मूल्य पर निर्यात किए जाने के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
- (iii) उक्त सारवान क्षति उक्त विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आर्थिक सहायता प्राप्त आयात के कारण हुई है;

और उन्होंने विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक 'काउंटरवेलिंग ड्यूटी' लगाने की सिफारिश की है।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (आर्थिक सहायता प्राप्त वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 20 और 22 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) और (6) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तु पर, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) में उल्लिखित दर से संगणित 'काउंटरवेलिंग ड्यूटी' लगाती है, यथा -

सारणी

क्र.सं.	शीर्षक	वस्तु का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि, अवतरण मूल्य के % के रूप में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	7408	कान्टीन्युअस कास्ट कापर वायर रॉड्स	थाईलैंड	थाईलैंड समेत कोई भी देश	एसईआई थाई इलेक्ट्रिक कंडक्टर कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड	शून्य
2.	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड	थाईलैंड समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 1 में उल्लिखित से भिन्न कोई भी उत्पादक	3.46%
3.	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम से भिन्न कोई भी देश	थाईलैंड	कोई भी	3.46%
4.	-तदैव-	-तदैव-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया समेत कोई भी देश	पीटी. टेम्बागा मूलिया सिमानन, टीबीके	3.75%
5.	-तदैव-	-तदैव-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया समेत	पीटी. कार्यासुमिदेन,	4.98%

				कोई भी देश	इंडोनेशिया	
6.	-तदैव-	-तदैव-	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 4 और 5 में उल्लिखित उत्पादक से भिन्न कोई भी उत्पादक	7.94%
7.	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम से भिन्न कोई भी देश	इंडोनेशिया	कोई भी	7.94%
8.	-तदैव-	-तदैव-	मलेशिया	मलेशिया समेत कोई भी देश	मैट्रोड मलेशिया एडीएनबीएचडी	2.47%
9.	-तदैव-	-तदैव-	मलेशिया	मलेशिया समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 8 में उल्लिखित उत्पादक से भिन्न कोई भी उत्पादक	10.27%
10.	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम से भिन्न कोई भी देश	मलेशिया	कोई भी	10.27%
11.	-तदैव-	-तदैव-	वियतनाम	वियतनाम समेत कोई भी देश	कोई भी	7.13%
12.	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम से भिन्न कोई भी देश	वियतनाम	कोई भी	7.13%

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाई गई 'काउंटरवेलिंग ड्यूटी' सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है), इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण :- के लिए इस अधिसूचना के उद्देश्य -

- (क) ऐसी काउंटरवेलिंग ड्यूटी की संगणना के उद्देश्य से लागू होने वाली विनिमय दर वही दर होगी जो कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा - शक्तियों का प्रयोग करते हुए समयके तहत प्रदत्त 14 समय पर जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की (विभागराजस्व)अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो और विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वही तारीख होगी जो उक्त अधिनियम की धारा के अंतर्गत 46 बिल ऑफ इंड्री को प्रस्तुत किए जाने की तारीख होगी ।
- (ख) “अवतरण मूल्य” से अभिप्राय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत यथा निर्धारित आंकलन योग्य मूल्य से है और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत आने वाले शुल्क को छोड़कर सभी प्रकार के सीमा शुल्क शामिल हैं ।

[फा. सं. 354/121/2019 – टीआरयू]

गौरव सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2020

No. 1/2020-Customs (CVD)

G.S.R. 18(E).—Whereas, in the matter of “Continuous Cast Copper Wire Rods” (hereinafter referred to as the subject goods) falling under heading 7408 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam (hereinafter referred to as the subject countries), and imported into India, the Designated Authority in its final findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification No. 6/17/2018-DGAD dated the 5th November, 2019 has come to the conclusion that-

- (i) the subject goods have been exported to India from subject countries at subsidized prices except exports from M/s SEI Thai Electric Conductor Co. Ltd., Thailand;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury due to subsidization of the subject goods;
- (iii) the material injury has been caused by the subsidized imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries;

and has recommended the imposition of definitive countervailing duty on imports of the subject goods originating in, or exported, from the subject countries.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (6) of section 9 of the Customs Tariff Act, read with rules 20 and 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column

(5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, countervailing duty calculated at the rate mentioned in column (7) of the said Table, namely:-

TABLE

S. No.	Heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty amount as % of landed value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	7408	Continuous Cast Copper Wire	Thailand	Any country including Thailand	SEI Thai Electric Conductor Co. Ltd	NIL
2.	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Any producer other than producer mentioned in S. No. 1	3.46%
3.	-do-	-do-	Any other country than Thailand, Indonesia, Malaysia and Vietnam	Thailand	Any	3.46%
4.	-do-	-do-	Indonesia	Any country including Indonesia	PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk	3.75%
5.	-do-	-do-	Indonesia	Any country including Indonesia	PT. Karya Sumiden Indonesia	4.98%
6.	-do-	-do-	Indonesia	Any country including Indonesia	Any producer other than producer mentioned in S. Nos. 4 and 5	7.94%
7.	-do-	-do-	Any other country than Thailand, Indonesia, Malaysia and Vietnam	Indonesia	Any	7.94%
8.	-do-	-do-	Malaysia	Any country including Malaysia	Metrod Malaysia Sdn Bhd	2.47%
9.	-do-	-do-	Malaysia	Any country including Malaysia	Any producer other than producer mentioned in S. No. 8	10.27%

22.	-do-	-do-	Any country other than Thailand, Indonesia, Malaysia and Vietnam	Malaysia	Any	10.27%
23.	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Any	7.13%
24.	-do-	-do-	Any country other than Thailand, Indonesia, Malaysia and Vietnam	Vietnam	Any	7.13%

2. The countervailing duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation. – For the purposes of this notification -

- (a) The rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such countervailing duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.
- (b) “Landed value” means the assessable value determined under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

[F. No. 354/121/2019-TRU]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.